



राजस्थान सरकार
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग
बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- प.7(4)/व्य.एवं प./पीएफ/2024/ 692-741

दिनांक:- 23-04-2025

परिपत्र

सामान्यतः जीपीएफ योजनान्तर्गत जिला कार्यालयों द्वारा चौथे एवं पांचवे यूजीसी वेतनमान एरियर राशि पर आदेश प्रसारित तिथि से ब्याज भुगतान किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय में पत्र प्राप्त हुये है, जो कि मार्गदर्शनार्थ सयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) को भिजवाया गया था।

अतः उक्त के संबंध में प्राप्त सयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) का पत्रांक प.4 (41) वित्त/बीमा/2024/00067 दिनांक 09.04.2025 (प्रति संलग्न) के अनुसार प्रकरणों की नियमानुसार कार्यवाही कर भुगतान करवाये जाने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।

भवदीया

(सुरभि भार्गव)

अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय जयपुर

क्रमांक:- प.7(4)/व्य.एवं प./पीएफ/2024/ 692-741

दिनांक:- 23-04-2025

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरि० निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा०नि०विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा०नि०विभाग, समस्त संभाग।
3. सहायक/उप/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surabhi Bhargav
Designation : Additional Director
Date: 2025.04.22 20:00:14 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक: प.4 (41) वित्त/बीमा/2024-00067

जयपुर, दिनांक

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- यूजीसी वेतनमान एरियर राशि पर आदेश दिनांक से ब्याज की गणना कर बकाया अन्तर ब्याज राशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:- अति० निदेशक (पीएफ) का पत्र क्रमांक प.7(4)/व्य.एवंप./पीएफ/2024/662 दिनांक 07.04.2025 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.02.2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित समसंख्यक पत्र दिनांक 18.02.2025 की प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified



Digitally signed by Dhan Lal Sherawat
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.04.09 13:14:01 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक: प.4 (41) वित्त/बीमा/2024-00067

जयपुर, दिनांक

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

- विषय:- यूजीसी वेतनमान एरियर राशि पर आदेश दिनांक से ब्याज की गणना कर बकाया अन्तर ब्याज राशि के भुगतान के संबंध में।
- संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक प.7(4)/व्य.एवंप./पीएफ/2024/77 दिनांक 16.12.2024 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2024 एवं दिनांक 16.01.2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्रों के क्रम में यूजीसी वेतनमान एरियर राशि पर आदेश दिनांक से ब्याज की गणना कर बकाया अन्तर ब्याज राशि के भुगतान के संबंध में इस विभाग में दिनांक 16.01.2025 को हुई चर्चानुसार राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 प्रभावी होने से पूर्व के प्रकरणों में आदेश प्रसारित तिथि से ब्याज भुगतान बाबत मार्गदर्शनार्थ प्रकरण वित्त(नियम) विभाग भिजवाये जाने पर वित्त(नियम) विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है-

“प्रकरण पर हुई चर्चा अनुसार राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11 सपठित नियम 14(3) के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करावे।”

यह वित्त विभाग में आई.डी. संख्या 222500046 से सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

भवदीय

(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified



Digitally signed by Dhan Lal Sherawat
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.02.18 20:29:43 IST
Reason: Approved